द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/698/2014

श्री एन0जी0 गोस्वामी, — **अपीलार्थी**
क्वा नं0 ई–171, केटू विहार,
एचटीपीपी दर्री,
कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0)

विरूद्ध

श्री चंद्रशेखर अग्रवाल, — **उत्तरवादी कं0 01**
जनसूचना अधिकारी
कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
महानदी मंडल, जल संसाधन विभाग,
सिहावा भवन परिसर,
रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0)

श्री याकूब खेस, — **उत्तरवादी कं0 02**
प्रथम अपीलीय अधिकारी
छ0ग0 शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर,
जिला रायपुर (छ0ग0)

–:: आदेश ::–
(पारित दिनांक : 30/09/2014)

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री एन0जी0 गोस्वामी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत उत्तरवादी कं0 01, श्री चंद्रशेखर अग्रवाल, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, महानदी मंडल, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन परिसर, रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0) तथा उत्तरवादी कं0 02, श्री याकूब खेस, प्रथम अपीलीय अधिकारी, छ0ग0 शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 23.1.13 छ0ग0 शासन, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय को प्रस्तुत कर सूचना/ जानकारी मांगी थी।

जल संसाधन विभाग ने पत्र दिनांक 15.2.13 द्वारा यह आवेदन पत्र जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित कर दिया। जनसूचना अधिकारी ने पत्र दिनांक 15.5.13 द्वारा अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराई। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील 18.4.13 छ0ग0 शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर में प्रस्तुत की गई। श्री याकूब खेस, अपीलीय अधिकारी/ उपसचिव, छ0ग0 शासन, जल संसाधन विभाग ने आदेश दिनांक 24.8.13 पारित किया है। जिसमें

उन्होंने यह पाया है कि अपीलार्थी सेवा में पुनः रखे जाने हेतु उनके नियुक्तिकर्ता जो सक्षम अधिकारी हैं, को निर्देशित किया जाये ऐसा कहते हैं। अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेजों/अभिलेखों की मांग नहीं की गई है। इस प्रकार अपील प्रकरण निराकृत किया गया। इसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर के जनसूचना अधिकारी ने जवाब प्रस्तुत किया है। उभयपक्षों को सुना गया।

जवाब के अपीलार्थी को पत्र दिनांक 15.5.13 द्वारा बिंदुवार जानकारी भेजी गई है। यह भी लिखा है कि अपीलार्थी जल संसाधन विभाग में 28 वर्ष पूर्व देनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत रहा है। सुनवाई के समय यह बताया गया कि अपीलार्थी को कार्य से निकाल दिया गया था तथा कार्यालय मुख्य अभियंता ने अपीलार्थी का आवेदन, पत्र दिनांक 30.5.2013 द्वारा अमान्य कर दिया था अपीलार्थी सेवा में बहाली चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी का पक्ष है कि उन्हें वांछित जानकारी संतोषजनक रूप से नहीं दी गई है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। वांछित सूचना/जानकारी का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

	वांछित जानकारी	उत्तरवादी का प्रत्युत्तर
1.	**राज्य सूचना आयोग व सहायक सूचना अधिकारी छ0ग शा0ज0स0वि0 का पत्र दिनांक 31.10.2006 के निर्देश पर प्रार्थी के सन् 1996 (12 वर्ष पूर्व) के पत्रों पर प्रशासनिक स्तर के एसडीओ. ईई. एसआई कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाहीकी सत्यापित प्रमाणित प्रति आयोग शासन, प्रशासन और प्रार्थी को निःशुल्क एवं सूचना शुल्क लेकर प्रदान किया गया। आर0टी0आई0– 97 एवं 2005 के तहत् प्रदान किये उक्त अभिलेख दस्तावेजों को शासन के किस आदेश–निर्देश के तहत् मान्य करने में कठिनाई है।**	**क्रमांक 1, 3 तथा 4– इन तीनों बिदुओं के संबंध में भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली लोक सूचना अधिकारियों के लिए जारी दिशा निर्देश सूचना के स्वरूप के संबंध में स्पष्टीकरण का अवलोकन करें।** **अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित हैं जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना का व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।** **अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले ओर इस प्रकार निकाले गये निष्कर्ष को आवेदक को भेजे।**
3	**माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.6.08 के परिपालन में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पत्र दिनांक 3.7.8 पर मु.अ. कार्यालय का पत्र कमांक 4812 रायपुर दिनांक 30.5.09 एवं उपसचिव छ0ग0 शा0ज0स0वि0 का पत्र दिनांक 2099, 2668/31/स्था/08 रायपुर दिनांक 31.8.2010 के द्वारा की गई कार्यवाही से विभाग किस आधार पर सहमत है। जबकि प्रशासनिक विभाग ने आरटीआई–97 एवं 2005 से प्राप्त सत्यापित व प्रमाणित पत्रों को मान्य करने से इंकार किया।**	
4.	**प्रार्थी के प्रकरण में तीन बार म0प्र0 साप्रवि का पत्र कं 191/1/वे.आ.प्र./87 दिनांक 15.5.87 के आदेश निर्देश के तहत् कार्यवाही करने का निर्देश प्रशासनिक विभाग को दिया गया था। किंतु तीनों बार प्रशासनिक विभाग ने अपने ही आदेश निर्देश के विरूद्ध कार्यवाही कर प्रकरण का रूप बदल दिया। जबकि उक्त आदेश के परिपालन में प्रशासनिक विभाग ने दैवेभो को 10 वर्ष विभाग से पृथक व अनुपस्थित कर्मचारियों को पुनः विभाग में समयोजन कर नियुक्ति प्रदान किया। जब विभाग से पृथक कर्मचारी को पुनः विभाग में समायोजन कर सकता है तो मात्र 7 दिन का स्वीकृत अवकाश लिये गये कर्मचारी 27 वर्षों से किस कारण से कार्य से वंचित रखा जा रहा है।**	

2.	राज्यपाल के अवर सचिव राज्यसचिवालय का पत्र क्रमांक 1908 रायपुर दिनांक 28.4.2009 एवं पत्र क्रमांक 4258 रायपुर दिनांक 25.8.2010 के द्वारा प्रार्थी के प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही की प्रति प्रदान करें।	बिंदु क्रमांक 2 एवं 5 में यह स्पष्ट लेख नहीं किया गया है कि महामहिम राज्यपाल एवं प्रमुख सचिव महोदय ने किस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार करने हेतु प्रेषित किया है। पूर्ण विवरण के अभाव में वांछित जानकारी प्रेषित किये जाना संभव नहीं हो रहा है।
5.	प्रार्थी ने दिनांक 11.10.2012 को प्रमुख सचिव (एन0के0 असवाल) से साक्षात्कार करके लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही व लिये गये निर्णय से अवगत कराने की कृपा करें।	

बिंदु क्रमांक 1, 3 तथा 4 के संबंध में जनसूचना अधिकारी का विनिश्चय संतोषजनक पाया जाता है क्योंकि इन तीनों बिंदुओं की ऐसी जानकारी चाही गई है जिनमें निष्कर्ष निकालकर देना होगा। जैसा बिंदु क्रमांक 01 में पूछा गया है कि RTI 97 एवं 2005 के अंतर्गत प्रदान किये गये दस्तावेज को शासन के किस निर्देश के तहत मान्य करने में कठिनाई है। बिंदु क्रमांक 03 में भी पूछा गया है कि वे किस आधार पर सहमत है। जबकि प्रशासनिक विभाग ने सत्यापित एवं प्रमाणित तथ्यों का मान्य करने से इंकार किया है। बिंदु क्रमांक 4 में यह पूछा गया है कि 07 दिन तक स्वीकृत अवकाश लिये गये कर्मचारी को 27 वर्ष से किस कारण से वंचित रखा गया है। निश्चित रूप से इन तीनों बिंदुओं की वांछित सूचना/जानकारी देने के लिए संबंधित दस्तावेजों को पढ़कर निष्कर्ष निकालकर वांछित सूचना/ जानकारी देनी होगी जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 6454, SLP(C) No. 7526/2009, Central board of secondry education & Anr. Vs Aaditya Bandopadhyaya & Ors. में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है :–

"At this juncture, it is necessary to clear some misconceptions about the RTI Act. The RTI Act provides access to all information that available and existing. This is clear from a combined reading of section 3 and the defenitions of ' information 'and ' right to information' under clauses (f) and (j) of section 2 of the act. if a punblic authority has any infomation in the form of data or analysed data, or abstracts, or statics, an applicant may access such infomation, subject to the exemptions in section 8 of the Act. But where the information sought is not a part of the record of a public authority, and where such information is not required to be maintained any law of thr rules or regulations of the public authority, the Act does not cast an obiligation upon the public authority, to collect or collate such non available information and then furnish it to an applicant. A public authority is also not require to furnish information it to an applicant. Which require drawing of infrences and/or making of assumptions. it is also not required to provide ' advice' or 'opinion' 'opinion' to an applicant, not required to obtain and furnish any 'opinion' or 'advice' to an aplicant. The refrence to 'opinion' or 'advice' in the definition of ' information' in section 2 (f) of the Act, only refers to such material available in the records of a public authority. Many a public authorities have, as public relation exercise, provide advice, guidance and opinion to the citizens. But that is purely voluntary and should not be confused with any obiligation under the RTI Act. "

उपरोक्त न्याय दृष्टांत से स्पष्ट है कि केवल रिकार्ड में उपलब्ध सूचना/जानकारी ही उपलब्ध कराई जा सकती है। किसी प्रकार का निष्कर्ष निकालकर देना या राय देना आदि अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बाम्बे एट गोवा के रिट पीटिशन नं.0 419/2007

डॉ0 सेल्सा पिंटो विरूद्ध राज्य सूचना आयोग में यह पाया गया है कि ''क्यों'' जैसे प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।

बिंदु क्रमांक 02 में यह कहा गया है कि राज्यपाल के अवर सचिव द्वारा पत्र दिनांक 28.4.09 एवं 25.8.2010 द्वारा प्रार्थी के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही की प्रति प्रदान करें। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी का पक्ष है कि राज्यपाल सचिवालय का कोई पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ और न ही यह ज्ञात होता है कि आवश्यक कार्यवाही हेतु उसे किसे भेजा गया इसलिए इस बिंदु की जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अपीलार्थी ने द्वितीय अपील आवेदन के साथ महामहिम राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त पत्र दिनांक 12.3.2008 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके द्वारा उन्हें सूचित किया गया है कि उनसे प्राप्त पत्र मुख्य सचिव म0प्र0 को समुचित कार्यवाही हेतु भेजा गया है। साथ ही उन्होंने महामहिम राज्यपाल छ0ग0 को संबोधित पत्र दिनांक 5.4.2008 की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है एवं राज्यपाल के अवर सचिव के पृष्ठांकन की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके द्वारा उन्हें सूचित किया गया है कि उनसे प्राप्त पत्र छ0ग0 शासन, जनशिकायत निवारण विभाग, मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। इस प्रकार स्थिति यह स्पष्ट होती है कि महामहिम राज्यपाल को संबोधित आवेदन/ अभ्यावेदन जन शिकायत निवारण विभाग को भेजा गया था परंतु इस बिंदु की जानकारी अपीलार्थी जल संसाधन विभाग से चाह रहे थे जिनके पास वह उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त न्याय दृष्टांत के प्रकाश में रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी ही प्रदान की जा सकती हैं अतः इस बिंदु के संबंध में दिया गया जवाब/जानकारी भी संतोषजनक पाई जाती है।

बिंदु क्रमांक 05 में अपीलार्थी ने प्रमुख सचिव से मिलने हेतु समय मांगा था उन्होंने उस पर की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि मांगी थी। यदि मिलने हेतु समय मांगने पर प्रमुख सचिव ने समय दिया होता तो उन्हें सूचना प्राप्त होती। उन्हें सूचना प्राप्त नहीं हुई तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अपीलार्थी को जिस पत्र दिनांक 15.5.13 द्वारा सूचित किया गया था उसकी प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता और जनसूचना अधिकारी को देकर बिंदु क्रमांक 5 के संबंध में जानकारी देने और स्थिति स्पष्ट करने हेतु लिखा गया था परंतु सुनवाई के समय बताया गया कि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये जवाब/जानकारी संतोषजनक पाई जाती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी का निष्कर्ष भी सही पाया जाता है। अतः यह द्वितीय अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त